न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.- 2038/2026
धनंजय यादव उर्फ धनंजय कुमार यादव बनाम बिहार सरकार
[नौतन थाना कांड संख्या 307/2025]
आदेश

10.08.2026 आवेदक/अभियुक्त **धनंजय यादव उर्फ धनंजय कुमार यादव पे0 स्व0 हरिहर चौधरी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 2038/2026, नौतन थाना कांड संख्या 307/2025, अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 118(1), 117(2), 109, 303(2), 326(f), 352, 351(2)(3) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर सिंह एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 16.12.2025 को समय करीब 06:00 बजे शाम में सूचक के बगल के गांव गुरमौटा के 1. सोनेलाल राम, 2. सुरज राम, 3. धीरज राम, 4. राजेन्द्र राम, 5. पशुराम राम, 6. चंदन राम, 7. धनंजय यादव, 8. नागेन्द्र यादव एवं कुछ अज्ञात लोग एकराय कर नाजायज मजमा बनाकर अहवा हाकेन का बहाना बनाकर हरवे–हथियार से लैश होकर लाठी–डंडा, रॉड, हॉकी, स्टिक, फरसा लेकर सूचक के बथान में आ गए। नागेन्द्र यादव एवं धनंजय यादव ने सूचक के मवेशी वाले बथान की पलानी की पुवाल पुंज में पेट्रोल–डीजल डालकर आग लगा दिया। सूचक ने जब विरोध किया तो सुरज राम ने रड से सर और गर्दन पर मारा जिससे सूचक का सर फटा। जिससे सर और गर्दन से खून निकलने लगा और धीरज राम ने फरसा से हमला किया जिसे सूचक बांह से रोका तो सूचक के बांह में चोट लगी जिसमें तीन टांका लगा है। सोनेलाल राम ने लाठी से सूचक के सीने और दोनों पैरों पर हमला किया जिससे सूचक का पैर टूट गया और वह गिर गए। चंदन राम और पशुराम राम ने सूचक को लाठी, डंडा से सूचक के शरीर पर हमला किया और सूचक के घर में रखे 40000/– चालीस हजार रूपया जो सूचक के बेटे राकेश ने दिया था, एक भैस खरीदने के लिए। उसे चंदन राम एवं पशुराम राम ने ले लिया और सुरज राम ने धमकी दिया कि साला केस मुकदमा किया तो तुम्हारे उपर हरिजन एक्ट केस करके फंसा दुंगा। आगलगी और हल्ला–गुल्ला सुनकर सूचक के परिवार के लोगों ने 112 नम्बर के पुलिस पर फोन किया तो पुलिस आई और सूचक को सरकारी अस्पताल नौतन लाई और ईलाज हुआ। स्थिति गंभीर देखकर सूचक को सिवान रेफर कर दिया गया जहां सूचक का एक्स–रे एवं सीटी स्कैन हुआ। जिसमें सूचक का पैर टूटा पाया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और सूचक के द्वारा यह मामला दुश्मनी के कारण गलत तरीके से पंजीकृत कराया गया है। आवेदक की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के खिलाफ नौतन थाना कांड संख्या 180/2025 के तहत पूर्व से एक मामला पंजीकृत है। आवेदक और सूचक के बीच पुरानी दुश्मनी है इसलिए आवेदक के खिलाफ यह झूठा मामला पंजीकृत कराया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, आधारहीन और मनगढंत है। आवेदक द्वारा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने और

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.- 2038/2026
धनंजय यादव उर्फ धनंजय कुमार यादव बनाम बिहार सरकार
[नौतन थाना कांड संख्या 307/2025]

10.08.2026
लगातार

भागने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी नौतन थाना कांड संख्या 307/2025, अंतर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 118(1), 117(2), 109, 303(2), 326(f), 352, 351(2)(3) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध सूचक के मवेशी वाले बथान की पलानी में आग लगाने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 5 में वादी का पुनः बयान अंकित है जिसमें उन्होंने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 6 एवं 7 में साक्षियों का बयान अंकित है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 31 के अनुसार चिकित्सक ने जख्मी नागेन्द्र यादव के दाहिने पैर में फ्रैक्चर पाया है जो गंभीर प्रकृति का जख्म है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक के खिलाफ नौतन थाना में पूर्व से एक मामला पंजीकृत है। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति व उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **धनंजय यादव उर्फ धनंजय कुमार यादव** के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 20.07.2026 को उपरोक्त के आलोक में खारिज किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 10.08.2026

Date of Order/Judgment	10.08.2026
Date of Reserving Order/Judgment	10.08.2026
Uploading Date	12.08.2026
Uploaded By	RAVI KANT